न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 255 / 2021 तारीख रजू:– 25.06.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1.	गिर्राज	पिसरान झूरिया	जाति मीना निवासी बुर्जाबाडा
2.	रेवती		
3.	रत्तीराम		काचरौली तहसील हिण्डौन
4.	ग्यानसिंह		जिला करौली––––– सायलान

बनाम

1.	मुन्शी	पिसरान नन्दसिंह	जाति जाटव निवासी बुर्जाबाडा
2.	सन्तोष		
3.	सुआबाई बेबा नन्दसिंह		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	रूपसिंह पुत्र सुक्का		
5.	तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान		

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01ता 4

निर्णय

दिनांक :– 15-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 स्थित ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायल नं01 ता 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसमें सायलान का 1/2 हिस्सा, गैरसायल नं01 ता 3 का 1/4 हिस्सा एवं गैरसायल सं04 रूपसिंह का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार सायलान एवं गैरसायलान नं01 ता 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र में सायलान के पिता झूमरिया तथा गैरसायल सं01 ता 3 के पिता नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वर्तमान जमाबन्दी में बतौर खातेदार नाम दर्ज है। सायलान के पिता झूमरिया का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी सायलान के नाम तथा गैरसायल सं01 ता 3 के पिता नन्दराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसे 1/4 हिस्से पर गैरसायल सं01 ता 3 का नाम दर्ज होनी चाहिए था, लेकिन स्वर्गवास हो जाने के पश्चात सायलान के पिता झूमरिया तथा गैरसायल नं01 ता 3 के पिता नन्दराम का वर्तमान जमाबन्दी में बतौर खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए सायलान अपने पिता झूमरिया के हिस्से की भूमि तथा गैरसायल नं01 ता 3 अपने पिता नन्दराम के हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 पार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायल नं01 ता 4 ने मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है तथा सायलान एवं गैरसायलान नं01 ता 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उसी अनुसार सायलान एवं गैरसायल नं01 ता 4 अपने अपने पर काबिज व दखील होकर साल दर साल फसल काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त फसल को सायलान एवं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान नं01 ता 4 दरोह करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात का मौके पर सायलान एवं गैरसायल नं01 ता 4 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है, जिसमें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई लेकिन रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण गैरसायल नं01 ता 4 के मन में हमेशा सायलान की कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर हडपने की रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान सीधे साधे मजदूर पेशा व्यक्ति हैं तथा गैरसायल नं01 ता 4 झगडालू तथा उदण्ड प्रकृति के व्यक्ति हैं तथा गेरसायल नं01 ता 4 ने आपस में साज कर रखा है जो आये दिन सायलान को उसके हिस्से की भूमि में परेशान करते रहते हैं तथा सायलान को उसके हिस्से से बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 23.06.2021 को समय करीब सुबह 11.00 बजे की बात है कि सायलान अपने कब्जे व हिस्से की भूमि मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की आगामी फसल के लिए सार संभाल कर रहे थे कि मौके पर गैसायल नं01 ता 4 मौके पर आये और सायलान से बोले की तुम यहॉ से चले जाओ, उक्त भूमि पर हम कब्जा कर इसे मैं दीगर लठैत वाले व्यक्तियों को विकय कर उनका कब्जा करा देंगें तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर इसे नाकाबिल काश्त बना देंगे, तो सायलान एवं गैरसायल नं01 ता 4 से कहा कि उक्त भूमि को हम और तुम तहसील कार्यालय हिण्डौन चल कर बॅटवारा करा लेते है,मौके पर तो बंटवारा हो रहा है, तब तुम अपने हिस्से की भूमि को किसी व्यक्ति को बेच देना, लेकिन गैरसालयन नम्बर 1 ता 4 के मन मे बदयान्ति होने के कारण बंटवारा करने के लिए तैयार नही है तथा बिना बंटवारा किऐ ही उक्त भूमि को विकय करने की फिराक मे है, लेकिन गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 ने बंटवारा करने से इन्कार करते हुए एलानिया धमकी दी है कि हम इस भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तन कर बिना बंटवारा किऐ प्लोट कांटकर दीगार लोगों को विकय कर उनका कब्जा करा देगें। सायलान ने गैरसायलान नम्बर –1ता 4 से ऐसा करने के लिए मना किया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान नम्बर–1 ता–4 अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है। इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बखिलाफ गैरसायलान दायर करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है, जबकि गैरसायलान को पाबंन्द नही करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाए जावें कि आराजीयात खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 स्थित ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें न ही किसी अन्य से करावें, सायलान को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें तथा गैरसायल नं01 ता 4 बिना बंटवारा हुए आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का रहन वय नहीं करें और ना ही गैरसायल सं05 उक्त आराजीयात का बयनामा पंजीकृत करें तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 1ता 4 की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान का गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उसमें सायलान को सफलता मिलने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है। दावा/प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध दायर किये हैं, जो खारिज होने योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 04 की कोई संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात नहीं है और ना ही सायलान का उक्त आराजीयात में कोई 1/2 हिस्सा है और ना ही गैरसायल नम्बर 01 लगायत 03 का 1/4 हिस्सा व गैरसायल नम्बर 04 रूपसिंह का 1/4 हिस्सा है और ना ही सायलान उक्त आराजीयात के किसी हिस्से पर काबिज व दखील हैं और ना ही उक्त आराजीयात सायलान एवं व गैरसायल नम्बर 01 ता 04 की संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजीयात है, बल्कि उक्त आराजीयात का साबिक खसरा नम्बर 1301 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाईं हिस्सा 1/2 तथा झूमरिया पुत्र चिरमल हिस्सा 1/2 की खातेदारी की आराजी रही है तथा उक्त आराजी को गैरसायल नम्बर 04 ने अपने पिता के जरिये तथा गैरसायल नम्बर 01 व 02 के पिता व 03 के पति नन्दसिंह ने दिनांक 02.07.1977 को सम्पूर्ण आराजीयात को झूमरिया पुत्र चिरमल अर्थात् सायलान के पिता व हुकम पुत्र नानगा गुंसाईं से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2500 रुपये में खरीदकर उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त भूमि पर काबिज व दखील हो गया तथा नन्दसिंह के जीवनकाल से ही गैरसायल नम्बर 01 ता 03 तथा गैरसायल नम्बर 04 उक्त सम्पूर्ण आराजी पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं, जिससे सायलान व उनके बुजुर्गों का कोई सम्बंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा तथा उक्त आराजी को खरीदने के उपरान्त उसका नामांतकरण गैरसायलान के हक में हुकम पुत्र नानगा गुंसाईं के हिस्से 1/2 की आराजी का खुलकर तस्दीक हो गया और उसका अमल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में हो गया, मगर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण सायलान के पिता झूमरिया पुत्र चिरमल के हिस्से 1/2 का नामांतकरण नहीं खुल सका, इसलिये झूमरिया की विक्रयशुदा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से खिलाफ कानून झूमरिया के नाम दर्ज रह गयी, जबकि योम खरीद से ही उक्त आराजीयात पर गैरसायल नम्बर 01 ता 04 उनके बुजुर्गों के समय से ही काबिज व दखील चले आ रहे हैं। उक्त आराजी पर सायलान का कोई कब्जा दिनांक 02.07.1977 के बाद कभी नहीं रहा तथा दौराने सैटलमेंट उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 2588 रकवा 56 ऐयर, खसरा नम्बर 2592 रकवा 15 ऐयर व खसरा नम्बर 2593 रकवा 12 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 83 ऐयर स्थित ग्राम बुर्जावाड़ा तहसील हिण्डौन कायम किये तथा इस सम्बंध में नन्दसिंह के वारिसान व रूपसिंह की ओर से अर्थात् गैरसायल नम्बर 01 ता 04 की ओर से दावा/प्रार्थना पत्र उनवानी सूआबाई आदि बनाम गिर्राज आदि श्रीमान के यहां दायर कर रखा है जो विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाकर बिल्कुल गलत व विधि विरुद्ध तथा अनक्लीनहैण्ड से दायर किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में झूमरिया व नन्दसिंह का स्वर्गवास होना सही है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। विस्तृत जवाब मद नम्बर 03 जवाब प्रार्थना पत्र में दिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र सायलान कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आराजीयात में सायलान के पिता द्वारा दिनांक 02.07.1977 को अपने हिस्से की आराजीयात का जरिये पंजीकृत वयनामा नन्दसिंह व रूपसिंह उर्फ धूपसिंह को विक्रय करने और उन पर कब्जा करा देने से उक्त आराजीयात का सायलान एवं गैरसायलान द्वारा मौके पर वहामी बंटवारा करने और अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता, बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात पर गैरसायल नम्बर 01 ता 04 काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, सायलान का उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात के किसी भी हिस्से पर जब कोई कब्जा है ही नहीं तो उस पर उनके द्वारा काश्त करने व मौके पर वहामी बंटवारा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रार्थना पत्र सायलान कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 गलत है व अस्वीकार है। सायलान कोई सीधेसादे मजदूर पेशा व्यक्ति नहीं है और ना ही गैरसायल नम्बर 01 ता 04 लडाकू, झगडालू प्रकृति के व्यक्ति हैं और ना ही गैरसायल नम्बर 01 ता 04 ने कोई साज कर रखा है और ना ही आए दिन सायलान के किसी तथाकथित हिस्से की भूमि से गैरसायलान उन्हें बेदखल करने को प्रयासरत रहते हैं, बल्कि जब सायलान का उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा है ही नहीं तो उन्हें गैरसायलान द्वारा बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विस्तृत जवाब मद नम्बर 03 जवाब प्रार्थना पत्र में दिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 07 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 23.06.2021 को सुबह करीब 11 बजे गैरसायलान द्वारा सायलान को उक्त मद में वर्णित कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी। उक्त दिनांक व समय को सायलान एवं गैरसायलान के मध्य कोई वार्तालाप किसी प्रकार का नहीं हुआ, सायलान द्वारा उक्त मद में वर्णित सम्पूर्ण वाक्यात बिल्कुल बनावटी व कपोलकल्पित महज विनाय दावा अंकित करने की गरज से दर्ज किये हैं, सायलान को वयनामा तारीखी 02.07.1977 को निरस्त कराये बिना दावा/प्रार्थना पत्र दायरी का कानूनन कोई हक हासिल नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 08 गलत होने से अस्वीकार है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, इसलिये उसकी क्षतिपूर्ति होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बल्कि गैरसायलान को पाबन्द करने से उन्हें अत्यधिक क्षति है, क्योंकि उक्त भूमि दिनांक 02.07.1977 के वयनामा के जरिये सायलान के पिता द्वारा गैरसायल नम्बर 01 व 02 के पिता व 03 के पति नन्दसिंह उर्फ नन्दराम व गैरसायल नम्बर 04 को विक्रय कर कब्जा करा दिया। उक्त भूमि पर सायलान का कानूनन विक्रय के पश्चात् कोई हक किसी प्रकार का नहीं रहा, इसलिये सायलान को कोई क्षति होने का प्रश्न किसी प्रकार का पैदा नहीं होता और ना ही सायलान को उक्त प्रार्थना पत्र दायर करने का कानूनन हक हासिल है, इसलिये प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने खारिज किये जाने योग्य है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायलान स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं और उन्होंने मैटेरियल तथ्यों को न्यायालय से छिपाकर प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है, इसलिये सायलान कोई भी दादरसी कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा दिनांक 02.07.1977 के पंजीकृत वयनामा को निरस्त कराये बिना दावा/प्रार्थना पत्र हाजा कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी हुकम वगैराह बनाम नन्दसिंह वगैराह दिनांक 02.07.1977, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी झूमरिया पुत्र चिरमल हि01/2 जाति मीना सा0देह खातेदार, नन्दसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रूपसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वारानी वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी झूमरिया पुत्र चिरमल हिस्सा 1/2 , नन्दसिंह रूपसिंह पि0 सूका चमार हि01/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी हुकम वगैराह बनाम नन्दसिंह वगैराह दिनांक 02.07.1977 के अनुसार खातेदार हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन, झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन– विक्रेतागण के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम काचरौली तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन को 2500/–रूपया में केतागण नन्दसिंह रूपसिंह पिसरान सूखा जाति जाटव (चमार) निवासी काचरौली जरिये बिसनिया बाबा नावालिगान पिता सूखा के हक में बेचान किया गया है तथा विकीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर केतागण नन्दसिंह आदि का करा दिया है। इस विकय पत्र में यह भी अंकित है कि उक्त खेत से सिवाय हम हुकम आदि के किसी का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। यह हर प्रकार के चार्जेज से भी फ्री है तथा इस खेत का हस्तातंरण जो पहिले हुआ था वो नियमानुकूल हुआ था कि जिसकी कार्यवाही जावता के लिए यह दस्तावेज तहरीर किया जा रहा है। खेत नम्बर 1301 मजकूर से हम हुकम आदि पक्षकारान का कोई वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं रहा है जो भी स्वामित्व, स्वत्व अब तक मुझ हुकम व मुझ झूमरिया को इस खेत के बाबत प्राप्त थे वो ही भविष्य में यथावत केतागण नन्दसिंह आदि को प्राप्त होंगे। नन्दसिंह आदि द्वितीयपक्ष इस खेत की खातेदारी अपने पक्ष में मुरतिव करा पाने, उसे भविष्य में इच्छानुसार वहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग, ट्रांसफर करने के लिए सक्षम व्यक्ति होंगे कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को केतागण के हकूकों को चेलेन्ज करने का हक न होगा। सारांश यह है कि खसरा नम्बर 1301 वाके काचरौली के निर्विवाद रूप से अब खातेदार काश्तकार नन्दसिंह आदि हो गये हैं। भविष्य में यदि मेरे अधिकारों की त्रुटि से या मेरे किसी भी वाली वारिसान की चुनौती से उपरोक्त बिका खेत या उसका जुज केतागण के स्वामित्व, स्वत्व में से निकल जावे तो उसमें जो भी क्षति केतागण की होगी उस क्षति की पूर्ति केतागण विटा कॉस्ट मुझ हुकम पक्षकार व उसके दायदों से बसूल करने के अधिकार होंगे।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा ग्राम काचरौली के नवीन खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 (लेटेस्ट) के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन की खातेदारी गिर्राज पुत्र झूमरिया हि01/10, ज्ञानवती पुत्री झूमरिया हि01/10, ज्ञानसिंह पुत्र झूमरिया हि01/10, रतीराम पुत्र झूमरिया हि01/10, रेवतीलाल पुत्र झूमरिया हि01/10 जातियान मीना सा0देह खातेदार एवं नन्दसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रूपसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि खातेदार हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन, झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन– विक्रेतागण के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन को 2500/–रूपया में क्रेतागण नन्दसिंह रूपसिंह पिसरान सूखा जाति जाटव (चमार) निवासी काचरौली जरिये बिसनिया बाबा नावालिगान पिता सूखा के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेतागण नन्दसिंह आदि का करा दिया है। उक्त विक्रय पत्र में विक्रेता हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी गैरसायल सं02 के पति व सायल सं01 व 2 के पिता नन्दसिंह व गैरसायल सं04 रूपसिंह पुत्र सुक्का जाति जाटव हि01/2 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुकी है तथा विक्रेता झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी उसके नाम बदस्तूर रह गयी क्योंकि विक्रेता जाति से मीना हैं जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं तथा क्रेतागण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। उक्त विक्रय पत्र में विक्रेता झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के द्वारा अपने हिस्सा 1/2 का बेचान क्रेतागण नन्दसिंह, रूपसिंह पुत्र सूखा जाति जाटव के हक में किया गया है वह धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से साफ जाहिर है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन सम्पूर्ण पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान सं01 ता 4 का कब्जा काश्त होना साबित हैं। सायलान का उक्त विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार से कोई हक निहित नहीं है और ना ही उनका मौके पर कब्जा काश्त होना साबित होता है क्योंकि उक्त भूमि को सायलान के पूर्वज झूमरिया के द्वारा सन् 1977 में ही गैरसायल सं01 व 2 के पिता तथा गैरसायल सं03 के पति नन्दसिंह व गैरसायल सं04 रूपसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। बल्कि गैरसायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञां विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली